



Neutral Citation No. - 2026:AHC:2373

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक प्रकीर्ण जमानत आवेदन संख्या - 44450 वर्ष 2025

लखन राजपूत उर्फ लखन सिंह राजपूत

.....आवेदक (गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

.....विपक्षी (गण)

आवेदक (गण) की ओर से अधिवक्ता : आशीष कुमार मौर्या, कुंवर अभिषेक

विपक्षी (गण) की ओर से अधिवक्ता : जी.ए.

न्यायालय संख्या - 66

माननीय न्यायमूर्ति कृष्ण पहल

1. वाद-सूची की पुनः पुकार कराई गई है।
2. श्री आशीष कुमार मौर्या, विद्वान अधिवक्ता आवेदक की ओर से, श्री सुनील कुमार, विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता राज्य की ओर से सुना गया एवं अभिलेख पर रखी गई सामग्री का अवलोकन किया गया।
3. आवेदक, मुकदमा अपराध संख्या 361 वर्ष 2024, धारा 103(1) भारतीय न्याय संहिता, थाना चिरगाँव, जिला झाँसी के अंतर्गत, विचारण के लंबित रहने की अवधि में जमानत चाहता है।
4. अभियोजन कहानी के अनुसार, आवेदक ने घटना से एक दिन पूर्व सूचनाकर्ता और मृतक को धमकी दी थी तथा अगले दिन घर के पास शव मिला।
5. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने तर्क दिया है कि आवेदक पूर्णतः निर्दोष है तथा वर्तमान प्रकरण में केवल संदेह के आधार पर उसे झूठा फंसाया गया है। आवेदक के विरुद्ध कोई प्रत्यक्ष प्रत्यक्षदर्शी साक्ष्य नहीं है। आवेदक को आरोपित छः मामलों का आपराधिक इतिहास स्पष्ट किया गया है। आवेदक दिनांक 22.11.2024 से जेल में बंद है और विचारण में

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



सहयोग करने को तैयार है। यदि आवेदक को जमानत पर रिहा किया जाता है, तो वह जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं करेगा।

6. विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता ने जमानत आवेदन का कड़ा विरोध किया है, किंतु आवेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा उठाई गई आपत्तियों का खंडन नहीं किया जा सका।
7. माननीय उच्चतम न्यायालय ने **प्रभाकर तिवारी बनाम उत्तर प्रदेश राज्य एवं अन्य, (2020) 11 एससीसी 648** में अवलोकन किया है कि यदि अन्यथा अभियुक्त का जमानत का मामला बनता हो, तो उसके विरुद्ध कई आपराधिक मामलों का लंबित होना अपने आप में जमानत अस्वीकार करने का आधार नहीं हो सकता।
8. प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों, पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं द्वारा किए गए प्रस्तुतीकरण, अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्य पर विचार करते हुए, इस तथ्य को दृष्टिगत रखते हुए कि आवेदक के विरुद्ध कोई प्रत्यक्ष प्रत्यक्षदर्शी साक्ष्य नहीं है, तथा प्रकरण के गुण-दोष पर कोई राय व्यक्त किए बिना, प्रथम दृष्टया न्यायालय का मत है कि आवेदक ने जमानत का मामला बनाया है। जमानत आवेदन स्वीकार किया जाता है।
9. उक्त मुकदमा अपराध में संलिप्त आवेदक लखन राजपूत उर्फ लखन सिंह राजपूत को संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के अनुसार व्यक्तिगत मुचलका एवं दो जमानतदारों द्वारा समान राशि में जमानत प्रस्तुत करने पर निम्नलिखित शर्तों के अधीन जमानत पर रिहा किया जाए। इसके अतिरिक्त, रिहाई आदेश जारी करने से पहले जमानतदारों का सत्यापन किया जाए।
 - (i) आवेदक विचारण के दौरान साक्ष्य से छेड़छाड़ नहीं करेगा।
 - (ii) आवेदक अभियोजन साक्षियों पर दबाव/भयादोहन नहीं करेगा।
 - (iii) आवेदक निर्धारित तारीख पर विचारण न्यायालय के समक्ष उपस्थित होगा।
10. उपर्युक्त किसी भी शर्त के उल्लंघन की दशा में, यह जमानत निरस्त करने का आधार होगा।
11. यह स्पष्ट किया जाता है कि आवेदक को जमानत देते समय की गई टिप्पणियाँ किसी भी प्रकार से विद्वान विचारण न्यायाधीश को साक्षियों की साक्ष्य के आधार पर अपना स्वतंत्र मत बनाने में प्रभावित नहीं करेंगी।

(न्यायमूर्ति कृष्ण पहल)



7 जनवरी, 2026

(रवि कांत)

Translated Version. Not for Legal Use.

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।